

## प्रेस नोट दिनांक 26-07-2019

### थाना देवबन्द पुलिस द्वारा फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को किया

#### गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि दिनांक 25-07-2019 को वादी उ०नि० श्री बलवान सिंह थाना देवबन्द की लिखित तहरीर पर अभि० विक्की त्यागी उर्फ वरदान त्यागी पुत्र शीशपाल त्यागी निवासी ग्राम कुरडी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा जाति विशेष के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी फेसबुक और व्हाट्सअप पर पोस्ट करने को लेकर थाना देवबन्द पर मु०अ०सं० 595/19 धारा 295ए भादवि व 67 आई०टी० एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए, अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना देवबन्द पुलिस को निर्देशित किया गया।

आज दिनांक 26-07-2019 को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री विद्या सागर मिश्र एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस द्वारा अभि० विक्की त्यागी उर्फ वरदान त्यागी पुत्र शीशपाल त्यागी निवासी ग्राम कुरडी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को रेलवे फाटक देवबन्द से समय करीब 14:35 बजे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- विक्की त्यागी उर्फ वरदान त्यागी पुत्र शीशपाल त्यागी निवासी ग्राम कुरडी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर बरामदगी का विवरण:-

1-एक अदद मोबाईल फोन रेडमी वाई-1

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

1-निरीक्षक श्री आनन्द देव मिश्र प्रभारी थाना देवबन्द, सहारनपुर।

2-निरीक्षक श्री रणवीर सिंह थाना देवबन्द, सहारनपुर।

3-का० 1099 लोकेन्द्र कुमार थाना देवबन्द, सहारनपुर।

4-का० 452 संजीव कुमार थाना देवबन्द, सहारनपुर।



**प्रेस नोट दिनांक 26-07-2019**

**थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा 01 शातिर लूटेरा, लूटी गयी सोने की चैन(पीली धातु), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल सहित किया गिरफ्तार:-**

अवगत कराना है दिनांक 25-07-2019 को श्री विजयपाल सिंह द्वारा थाना बिहारीगढ पर अपनी भाभी श्रीमती मुनेश देवी की सोने की चैन को मोटर साइकिल पर सवार 02 अज्ञात बदमाशों द्वारा लूटने के सम्बन्ध में लिखित तहरीरी सूचना दी गई, जिसके आधार पर थाना बिहारीगढ पर मु0अ0सं0 121/19 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए, अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु थाना बिहारीगढ पुलिस को निर्देशित किया गया।

दिनांक 25-07-2019 को अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के कुशल नेतृत्व में थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ग्राम खुशहालीपुर से उक्त घटना को कारित करने वाले अभियुक्त आदित्य पुत्र मान सिंह पंडित निवासी मौ0 कृष्णापुरी गोविंदपुरी मोदीनगर थाना कोतवाली मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद, जो भागते समय गिरकर घायल हो गया, को लूटी गयी सोने की चैन, 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त इनफिल्ड मोटर साइकिल नं0 यूपी 37 के 4548 को सहित समय 17.15 बजे गिरफ्तार किया गया। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का एक साथी मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त की स्थिती को देखते हुये सीएचसी फतेहपुर में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

1-आदित्य पुत्र मान सिंह पंडित निवासी मौ0 कृष्णापुरी गोविंदपुरी मोदीनगर थाना कोतवाली मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद।

**बरामदगी का विवरण:-**

1- लूट की सोने की चैन (पीली धातु)।

2- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस।

3-लूट की घटना में प्रयुक्त की गई इनफिल्ड मोटर साइकिल नं0 यूपी 37 के 4548।

**पूछताछ का विवरण:-**

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मैं और मेरे साथी ने मोहड के जंगल के पास से एक महिला को तमंचा दिखाकर उसके गले की सोने की चैन लूटकर भाग रहे थे कि पुलिस द्वारा हमारा पीछा किया जा रहा था, जिससे हमारी मोटर साइकिल खम्भे से टकरा गई और मैं घायल होकर गिर गया और मेरा साथी मौके से भाग गया और मैं पुलिस द्वारा पकड़ा गया। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का लूटेरा है। अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ जारी है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-**

1-श्री बिजेन्द्र सिंह रावत थानाध्यक्ष बिहारीगढ, सहारनपुर।

2-उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र कुमार थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।

3-है0का0 294 राशिद अली थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।

4-का0 1969 साजिद अली थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।

5-का0 2061 नदीम अली थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।

**प्रेस नोट दिनांक 26-07-2019**

**पुलिस द्वारा बदमाशो के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही से घबराकर  
25,000 /-रुपये के ईनामी इरफान उर्फ फाना पुत्र अशरफ ने मा0**

**न्यायालय में किया आत्मसमर्पण:-**

अवगत कराना है कि थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 213/18 धारा 3/5/8 गोवध संरक्षण अधि0 व 11 पशु कूरता अधि0, मु0अ0सं0 602/18 धारा 147/148/149/323/324/307/504/506 भादवि, मु0अ0सं0 260/19 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 426/19 धारा 420/468/471 भादवि व 5ए/8 गोवध संरक्षण अधि0 व 11 पशु कूरता अधि0 पंजीकृत किये गये थे, जिसमें अभियुक्त इरफान उर्फ फाना पुत्र अशरफ निवासी बेग्गी नाजर थाना गंगोह, सहारनपुर वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर 25,000 /-रुपये का ईनाम घोषित किया गया था।

दिनांक 25-07-2019 को अभियुक्त इरफान उर्फ फाना उपरोक्त ने पुलिस द्वारा बदमाशो के विरुद्ध की जा रही कड़ी से घबराकर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। जिसके विरुद्ध जनपद सहारनपुर, सोनीपत, कुरुक्षेत्र में गोवध अधि0, पशु चोरी, जान से मारने का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, धोखाधड़ी आदि के तहत अभियोग पंजीकृत है।

**आत्मसमर्पण करने वाले अभियुक्त का नाम व पता:-**

1-इरफान उर्फ फाना पुत्र अशरफ निवासी बेग्गी नाजर थाना गंगोह, सहारनपुर।

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1-मु0अ0सं0 70/18 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व धारा 11घ पशु कूरता अधि0 थाना गंगोह, सहारनपुर।

2-मु0अ0सं0 213/18 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व धारा 11 पशु कूरता अधि0 थाना गंगोह, सहारनपुर।

3-मु0अ0सं0 260/19 धारा 307 भादवि थाना गंगोह, सहारनपुर।

4-मु0अ0सं0 263/19 धारा 5/8 सीएस एक्ट व धारा 11घ पशु कूरता अधि0 थाना गंगोह, सहारनपुर।

5-मु0अ0सं0 426/19 धारा 420/468/471 भादवि व धारा 5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु कूरता अधि0 थाना गंगोह, सहारनपुर।

6-मु0अ0सं0 681/18 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह, सहारनपुर।

7-मु0अ0सं0 121/16 धारा 363/366/504/506 भादवि थाना गंगोह, सहारनपुर।

8-मु0अ0सं0 60/18 धारा 147/148/323/324/504/506 भादवि थाना गंगोह, सहारनपुर।

9-मु0अ0सं0 136/18 धारा 395/397 भादवि व 25/54/59 आर्म्स एक्ट थाना राई, सोनीपत, हरियाणा।

10-मु0अ0सं0 104/18 धारा 379 भादवि पशु चोरी थाना बवैन कुरुक्षेत्र, हरियाणा।

11-मु0अ0सं0 102/18 धारा 379 भादवि पशु चोरी थाना बवैन कुरुक्षेत्र, हरियाणा।

12-मु0अ0सं0 132/18 धारा 379 भादवि पशु चोरी थाना बवैन कुरुक्षेत्र, हरियाणा।

13-मु0अ0सं0 250/18 धारा 380 भादवि थाना शाहाबाद कुरुक्षेत्र, हरियाणा।

14-मु0अ0सं0 343/18 धारा 380 भादवि थाना शाहाबाद कुरुक्षेत्र, हरियाणा।

15-मु0अ0सं0 125/18 धारा 379 भादवि थाना बवैन कुरुक्षेत्र, हरियाणा।

16-मु0अ0सं0 140/18 धारा 457/380 भादवि थाना बवैन कुरुक्षेत्र, हरियाणा।

17-मु0अ0सं0 124/18 धारा 379 भादवि पशु चोरी थाना बवैन कुरुक्षेत्र, हरियाणा।